

रिपोर्ट पटवारी हत्या/आई०एल०३३२०
 आवेदन पत्र के सम्बन्ध में जांच की गई। जिसके अनुसार मंगेज, निवेदन है, कि उम. बराडी के खाता
 124, 163, 164 में प्रार्थी का नाम सुलाराम पु० मंगेज दर्ज है जबकि प्रार्थी
 के अन्य दस्तावेजों में आधार कार्ड, पैन कार्ड में प्रार्थी का नाम ब्रह्मचन्द्र पि० मंगेज
 दर्ज है। अतः नाम शुद्धि हेतु प्रार्थी का नाम सुलाराम पु० मंगेज के बजाय ब्रह्मचन्द्र
 पु० मंगेज दर्ज किया जाना श्रेष्ठ है।

कार्यालय तहसीलदार, उदयपुरवाटी/गुढागौड़जी
 दिनांक :- 11/11/2021

क्रमांक : राजस्व/2020/

मूल ही उपखण्ड अधिकारी महोदय, उदयपुरवाटी को प्रेषित कर निवेदन है कि आवेदन पत्र में वर्तमानुसार आवेदक
 का नाम दुरुस्त किया जाना उचित है/प्रचित नहीं है। आवेदक का नाम दुरुस्त किये जाने की अधिसूचना की जाती है / नहीं
 की जाती है।

दुरुस्त किया जाना उचित है।
 तहसीलदार (भू०अ०)
 तहसीलदार, उदयपुरवाटी/गुढागौड़जी

1245
 11/11/21

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर उदयपुरवाटी जिला सुंयुतू (राज.)
 :- आदेश :-

दिनांक :-

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्षों एवं तहसीलदार (भू०अ०)
 उदयपुरवाटी/गुढागौड़जी की रिपोर्ट के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136 के अनुसरण में
 निम्नांकित दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर तहसीलदार (भू०अ०) उदयपुरवाटी/गुढागौड़जी को राजस्व
 रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं।

क्र.सं.	ग्राम	जमाबन्दी सम्बन्ध	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है।)
01.	वासुडी	2075-2078	124 163 164	सुलाराम पुत्र मंगेज	ब्रह्मचन्द्र पुत्र मंगेज

नोट :-शेष प्रविष्टियां यथावत रहेंगी तथा यदि उक्त भूमि रहन हो तो रहन मुक्त होने के उपरान्त निर्णय की
 पालना की जावे।

उपखण्ड अधिकारी, उदयपुरवाटी

क्रमांक :- राजस्व/2020/1042-43
 प्रतिलिपि :-

दिनांक :- 11/11/21

1. तहसीलदार (भू०अ०) उदयपुरवाटी/गुढागौड़जी को वास्ते पालनार्थ।
2. प्रार्थी/प्रार्थीयाको सूचनार्थ।

उपखण्ड अधिकारी, उदयपुरवाटी